न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 462/2018

वादी :— भंवरूराम पुत्र श्री तेजाराम, जाति जाट, निवासी दधवाड़ी, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. मानाराम पुत्र श्री तेजाराम
2. भभूतराम पुत्र श्री तेजाराम
3. चुकादेवी उर्फ चकुड़ी पत्नी श्री तेजाराम
4. भगवती पुत्री श्री तेजाराम
5. संजू पुत्री श्री तेजाराम
6. तेजाराम पुत्र श्री हीराराम

   सभी जाति जाट, निवासीगण दधवाड़ी

   तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
7. तहसीलदार, मेड़ता।
8. पटवारी हल्का, दधवाड़ा

<u>दावा बाबत बंटवाड़ा घोषणा खातेदारी</u>

<u>निर्णय</u> दिनांक :—29.08.2018

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी ने दावा बाबत बंटवाड़ा व घोषणा खातेदारी का पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 हिन्दू है तथा हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा की बनारस स्कूल से गर्वन होते है। सभी एक ही परिवार के

Scanned by CamScanner

सदस्य है। मौजा दधवाड़ी की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 60 रकबा 1.91 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 67 रकबा 1.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 71 रकबा 1.94 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 87 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 117 रकबा 1.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 163 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 164 रकबा 1.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.84 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 167 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 168 रकबा 1.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 170 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसर नम्बर 53 रकबा 1.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169 रकबा 3.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 451/53 रकबा 1.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 513/154 रकबा 0.089 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 514/157 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 515/153 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 165 रकबा 0. 84 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25 रकबा 2.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 27 रकबा 1.88 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 159 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54 रकबा 1.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 55 रकबा 0.01 हैक्टेयर ,खसरा नम्बर 56 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 57 रकबा 1.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 440/58 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 521/51 रकबा 0.972 हैक्टेयर की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की संयुक्त काश्त व कब्जासुद भूमि आयी हुई है। उक्त सम्पूर्ण आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का सहुलियत से अलग–अलग काश्त व कब्जा है। उक्त खसरान की भूमि आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से संबोधित की गई है। वादग्रस्त खसरान की भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है, जो पूर्व में पक्षकारान के पूर्वजों

Scanned by CamScanner

की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। जो वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 को उनके पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई तथा कुछ भूमि संयुक्त परिवार की आय से खरीदसुदा भूमि है। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की पैतृक भूमि है। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादी को जन्म से अधिकार प्राप्त है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने वादग्रस्त आराजी का मौके पर सहुलिसत के अनुसार जुबानी बंटवाड़ा आज से करीब 2 वर्ष पूर्व कर लिया है। जो अर्जीदावा के पैरा संख्या 4 में वर्णितानुसार है। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने अपने बंट की एवज में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से नगदी व गहने प्राप्त कर लिये है तथा अपना सम्पूर्ण खातेदारी हक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में पक्ष में जुबानी तर्क कर दिया है। जिससे वादग्रस्त खसरान की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 का कोई हक, बंट नही रखा गया है। उपरोक्त वर्णित बंटानुसार वादी व प्रतिवादीगण मौके पर काश्त व काबिज है तथा अलग–अलग सीवें माठे कायम कर ली है मगर विधिवत बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नही हुआ है। जिससे मुतनाजा खसरान का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने हेतु वाद पेश है। उक्त मुतनाजा आराजी पर काश्त व कब्जा वादी व प्रतिवादीगण का सहुलियत से अलग–अलग है। मगर मुतनाजा आराजी की खातेदारी बंटवाड़ा के विपरीत दर्ज है। इसलिये वादी यह घोषणा का वाद पेश कर इस प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है कि वादपत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित बंट के अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है तथा

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का नाम खातेदारी से हटाया जावें। प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार मेड़ता भूमिधारी होने तथा प्रतिवादी संख्या 7 राजस्व रेकर्ड का संधारक होने सें आवश्यक पक्षकार है। इसलिये इनको पक्षकार बनाया गया है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 10 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा दधवाड़ी की जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072, खाता संख्या 63, 62, 161, 42, 122, 153, 65, 66, ग्राम पंचायत दधवाड़ा द्वारा दिनांक 08.08.2018 को जारी तेजाराम पुत्र श्री हीराराम का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की प्रतियां पेशी की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की ओर से वकील श्री नरेश कुमार राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से दिनांक 23.08.2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक व संयुक्त परिवार की आये से खरीदसुदा है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

Scanned by CamScanner

6.(1) **वादी भंवरूराम के बंट में :–** मौजा दधवाड़ी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 169 रकबा 3.24 हैक्टेयर में से 2.53 हैक्टेयर पश्चिमी, खसरा नम्बर 67 रकबा 1.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25 रकबा 2.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 27 रकबा 1.88 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 521/51 रकबा 0.972 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 164 रकबा 1.76 हैक्टेयर में से रकबा 0.91 हैक्टेयर उत्तरी कुल रकबा 9.892 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

6.(2) **प्रतिवादी संख्या 1 मानाराम के बंट में :–** मौजा दधवाड़ी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 166 रकबा 0.84 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.84 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169 रकबा 3.24 हैक्टेयर में से 0. 81 हैक्टेयर पूर्वी, खसरा नम्बर 60 रकबा 1.91 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 71 रकबा 1.94 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 87 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 164 रकबा 1.76 हैक्टेयर में से रकबा 0.91 हैक्टेयर दक्षिणी कुल रकबा 8.45 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

6.(3) **प्रतिवादी संख्या 2 भभूतराम के बंट में :–** मौजा दधवाड़ी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 53 रकबा 1.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 451/53 रकबा 1.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 167 रकबा 1.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 168 रकबा 1.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 170 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54 रकबा 1.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 55 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 56 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 57 रकबा 1.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 440/58 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल रकबा 9.33 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

Scanned by CamScanner

6.(4) वादी व प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त बंट में :– मौजा दधवाड़ी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 162 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 163 रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

6.(5) प्रतिवादी संख्या 6 तेजाराम बंट में :– मौजा दधवाड़ी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 513/154 रकबा 0.089 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 514/157 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 115/153 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

7. प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में अपना हक तर्क कर दिया है। जिससे हक तर्क व बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना

उपखण्ड अधिकारी,

मेड़ता

Scanned by CamScanner